न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 17 / 2021(राजसमन्दआर्डर)

1. देवीलाल पिता श्री किशनलाल जाट, निवासीडूंगाखेड़ा, तहसील आमेट,जिला राजसमन्द (राज.)
2. सुशीला पुत्री श्री किशनलाल जाट, निवासी डूंगाखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. सोहनीबाई पत्नी स्व. श्री किशनलाल जाट, निवासी डूंगाखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता श्री लेहरू जी जाट, निवासी डूंगाखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. कन्हैयालाल पिता श्री मांगीलाल जाट, निवासी डूंगाखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. शांतिबाई पत्नी श्री मांगीलाल जाट, निवासी डूंगाखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णयउपखण्ड अधिकारीआमेट, प्रकरण संख्या 22 / 2021दिनांक30.06.2021

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री मुकेश देवपुराअभिभाषकअपीलान्टगण
2. श्री डालचन्द जाट अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णयदिनांक 21–03–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्य एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 802 / 555 रकबस 0.1300 हैक्टर भूमि ग्राम डूंगाखेडा में स्थित है, जिससे विपक्षीगण को कोई संबंध नहीं है, किन्तु विपक्षीगण जबरन कब्जा करने की नियत से मौके पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:10:11 IST
Reason: SelfAttested

कि वे मौका पर निर्माण कार्य नहीं करें, प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें एवं मौके पर विपक्षीगण द्वारा किये गये अवैध निर्माण हटाया जावे।

विपक्षीगण की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में दर्ज अवश्य है, किन्तु मौके पर विपक्षीगण का 1/2 हिस्से पर कब्जा होकर उनके पक्के मकान बने हुए हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। विपक्षीगण जबरन निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्षो से मकान बने हुए हैं। प्रार्थीगण ने झूठा प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30–06–2021 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया,जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 14–07–2021 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 संख्या 3 की ओर से अभिभाषक श्री डालचन्द जाट उपस्थित हुए।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहससुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि वादग्रस्त भूमि में रेस्पोन्डेन्टगण को किसी प्रकार का निर्माण करने का हक व अधिकार नहीं है। अपीलान्टगण विवादित आराजियात के रेकार्डेड खातेदार हैं, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट द्वेषता के कारण जबरन निर्माण कार्य करने पर आमादा है। अधिनस्थ न्यायालय ने जिस ईकरारनामें का जिक्र किया है, वह अपंजीकृत, अनस्टाप्प होने से कानून साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विद्वानअभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि अनुसार बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट विवेचन किया है कि ''प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अवश्य खातेदार हैं, किन्तु मौके पर विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:10:11 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा मकान का निर्माण किया गया है और मकान के फोटोग्राफ देखने पर निर्माण भी पुराना ताईद होता है। प्रार्थी अधिवक्ता ने स्वीकार किया है कि उसने अप्रार्थी को निवास हेतु विवादित आराजी का कुछ भाग पहले से दे रखा है और प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है व विवादित आराजी के संबंध में तथ्य छुपाये हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षी के हक में 100/– रूपये के स्टाम्प पर उक्त भूमि का पंजीयन कराने का इकरारनामा किया गया है, जिससे यह ताईद होता है कि उक्त भूमि में विपक्षीगण का हिस्सा अवश्य है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का साबित नहीं पाया जाता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में न होकर विपक्षी के हक में होना तय है। जहां तक अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है तो प्रार्थी अवश्य ही खातेदार हैं किन्तु विपक्षी का मौके पर पक्का मकान बना हुआ है, जिससे अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में न होकर विपक्षी के हक में साबित होता है।'' अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आधारों पर प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतःअपील अपीलान्टसारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30–06–2021यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–03–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:10:11 IST
Reason: SelfAttested